

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मे0न0 - 335/2025

अनवान : -

1. अमनप्रताप सिंह पुत्र मंहगा सिंह जाति जटसिख (नामधारी) निवासी वार्ड न0 01 ढाणी तारासिंहवाली, टिब्बी त0 टिब्बी ।

वादी

बनाम्

1. मंहगा सिंह पुत्र मोहनसिंह जाति जटसिख (नामधारी) निवासी वार्ड न0 01 ढाणी तारासिंह वाली, टिब्बी तहसील टिब्बी ।
2. गुरप्रीत सिंह पुत्र मंहगा सिंह जाति जटसिख (नामधारी) निवासी वार्ड 01 ढाणी तारासिंह वाली, टिब्बी तहसील टिब्बी ।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी महावीर वर्मा व इन्द्रजीतसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकनं० 13 जीजीआर के खाता सं० 86 / 46 में कुल 0.9000 है० चाही आराजी में प्रतिवादी सं० 1 मंहगा सिंह का 1/2 हिस्सा, इसी चक के खाता सं० 214/169 में कुल 1.2650 है० आराजी, इसी चक के खाता सं० 216 / 170 में अंकित कुल 3.5420 है० आराजी मे से प्रतिवादी सं० 1 मंहगा सिंह का 1096 / 5313 हिस्सा, इसी चक के खाता सं० 88 / 230 में अंकित कुल 3.7950 है० आराजी में मंहगा सिंह का 421 / 3795 हिस्सा, चकनं० 6 एस. आर. डबल्यू के खाता सं० 92/85 में कुल 1.7710 है० आराजी, इसी चक के खाता सं० 93 / 83 में कुल 3.036 है० आराजी में प्रतिवादी मंहगासिंह को 1 / 2 हिस्सा, इसी चक के खाता सं० 94 / 87 में अंकित कुल 0.253 है० आराजी में प्रतिवादी सं० 1 मंहगासिंह का 1 / 2 हिस्सा में प्रतिवादी सं० 1 मंहगासिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार यदि कृषि भूमि बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 8/8/25 मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़